मझोले और छोटे उद्योगों में 35 लाख नौकरियां गईं तो मोदी-शाह किन 7 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे

मोदी सरकार नौकरियों का विज्ञापन निकाल रही है, नौकरियां दी नहीं जा रहीं, उन्हें अटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है

रवीश कुमार, वरिष्ठ टीवी पत्रकार

उन 35 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सपने में आते होंगे, जिनके एक सनक भरे फैसले के कारण नौकरियां चली गईं। नोटबंदी से दर-बदर हुए इन लोगों तक सपनों की सप्लाई कम न हो, इसलिए विज्ञापनों में हज़ारों करोड़ फूंके जा रहे हैं।

मोदी सरकार ने साढ़े चार साल में करीब 5000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रानिक और प्रिंट के विज्ञापनों पर ख़र्च किए हैं। मनमोहन सिंह की पिछली सरकार साल में 500 करोड़ ख़र्च करती थी, मौजूदा सरकार साल में करीब 1000 करोड़ ख़र्च कर रही है। विज्ञापनों का यह पूरा हिसाब नहीं है। अभी यह हिसाब आना बाकी है कि 5000 करोड़ में से किन किन चैनलों और अख़बारों पर विशेष कृपा बरसाई गई है और किन्हें नहीं दिया गया है।

35 लाख लोग इन विज्ञापनों में उस उम्मीद को खोज रहे होंगे जो उन्हें नोटबंदी की रात के बाद मिली थी। बोगस धारणा परोसी गई कि ग़रीब और निम्न मध्यमवर्ग सरकार के इस फैसले के साथ है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। एक चिढ़ है जो अमीरों को लेकर है।

नोटबंदी भारत की आर्थिक संप्रभुता पर किया गया हमला था। इसके नीचे दबी कहानियां धीरे-धीरे करवटें बदल रही हैं। चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने रिटायर होने के तुरंत बाद कह दिया कि चुनावों में काले धन में कोई कमी नहीं आई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर राजन और मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम भी खुलकर कह रहे हैं कि नोटबंदी के कारण भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी हुई है। इस धीमेपन के कारण कितनों को नौकरियां नहीं मिली हैं और कितनों की चली गई हैं, हमारे पास समग्र और व्यापक आंकड़े नहीं हैं।

जिनकी नौकरियां गईं वो चुप रह गए कि भारत के लिए कुर्बानी कर रही हैं। एक फ्राड फैसले के लिए लोग ऐसी मूर्खता कर सकते हैं इसका भी प्रमाण मिलता है। बैंकों में सैकड़ों कैशियरों ने अपनी जेब से नोटबंदी के दौरान 5000 से 2 लाख तक जुर्माने भरे। अचानक थोप दिए गए नोटों की गिनती में जो चूक हुई उसकी भरपाई अपनी जेब से की, यह सोचकर कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं।

ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (AMIO) ने ट्रेडर, माइक्रो, स्मॉल और मिडियम सेक्टर में एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में इस सेक्टर के 34,000 उपक्रमों को शामिल किया गया है। किसी सर्वे के लिए यह छोटी-मोटी संख्या नहीं है। इसी सर्वे से यह बात सामने आई है कि इस सेक्टर में 35 लाख नौकरियां चली गईं हैं।

ट्रेडर सेगमेंट में नौकरियों में 43 फीसदी, माइक्रो सेक्टर में 32 फीसदी, स्माल सेगमेंट में 35 फीसदी और मिडियम सेक्टर में 24 फीसदी नौकरियां चली गई हैं। 2015-16 तक इन सेक्टरों में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन नोटबंदी के बाद गिरावट आ गई जो जीएसटी के कारण और तेज़ हो गई। AMIO ने हिसाब दिया है कि 2015 पहले ट्रेडर्स सेक्टर में 100 कंपनियां मुनाफा कमा रही थीं तो अब उनकी संख्या 30 रह गई है।

संगठन ने बयान दिया है कि सबसे बुरा असर स्व-रोज़गार करने वालों पर पड़ा है। जूते की मरम्मत, हज़ामत, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वालों पर पड़ा है। दिन भर की मेहनत के बाद मामूली कमाई करने वालों पर नोटबंदी ने इतना क्रूर असर डाला है।

वर्ष 2015-16 तक इन सेक्टर में काफी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। लेकिन नोटबंदी के बाद ही इसमें गिरावट आने लगी जो जीएसटी के कारण और भी तेज़ हो गई। दिल्ली के ओला में चलते हुए तीन लोगों से मिला हूं जिनका जीएसटी और नोटबंदी से पहले लाखों का कारोबार था। तीन-चार सौ लोग काम करते थे। अब सब बर्बाद हो गया है। टैक्सी चलाकर लोन की भरपाई कर रहे हैं। इसमें नोटबंदी और जीसएटी दोनों का योगदान है।

सोचिए मझोले और छोटे उद्योगों में अगर 35 लाख लोगों की नौकरियां गईं हैं तो प्रधानमंत्री और अमित शाह किन लोगों को 7 करोड़ रोज़गार दिए जाने की बातें कर रहे थे। पिछले साल के उनके बयानों को सर्च कीजिए।

मई 2017 में अमित शाह ने दावा किया था कि मुद्रा लोन के कारण 7.28 करोड़ लोगों ने स्व-रोजगार हासिल किया है। सितंबर 2017 में SKOCH की किसी रिपोर्ट के हवाले से पीटीआई ने खबर दी थी कि मुद्रा लोन के कारण 5.5 करोड़ लोगों को स्व-रोज़गार मिला है। उस दावे का आधार क्या है।

नौकरी छोड़िए अब मुद्रा लोन को लेकर ख़बरें आ रही हैं कि बैंकों के पास पैसे नहीं हैं लोन देने के लिए। बहुत सारे मुद्रा लोन भी एनपीए होने के कगार पर हैं। एनडीटीवी डॉट कॉम पर ऑनिंद्यो चक्रवर्ती ने लिखा है कि 2013-14 में जीडीपी का 2.8 प्रतिशत बैंक लोन मध्यम व लघु उद्योगों को मिला था जो 2017-18 में घटकर 2.8 प्रतिशत पर आ गया। इसी सेक्टर को लोन देने के लिए रिज़र्व बैंक पर कब्ज़े का नाटक किया जा रहा है।

प्राइवेट सेक्टर नौकरियों के मामले में ध्वस्त हो चुका है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर लाखो करोड़ के बजट बताकर सरकार वाहवाही लेती है कि इतने लोगों को काम मिलेगा, ज़रा सड़क निर्माण में लगे लोगों से बात कीजिए कि पहले की तुलना में मशीन कितनी लगती है और लेबर कितना लगता है। मामूली काम भी नहीं मिल रहे हैं।

इंजीनियरिंग की डिग्री लिए बेरोज़गारों से पूछिए। सरकारी सेक्टर ही बचा है अभी नौकरियों के लिए। सरकारों को देनी नहीं हैं, उनकी थ्योरी चलती है कि मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी स्लोगन में है कि सरकार अपना आकार छोटा रखेगी तो नौकरियां कहां से आएगी। शायद इसलिए भी नौकरियों का विज्ञापन निकल रहा है, दी नहीं जा रही हैं। उन्हें अटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है।

सम्पादक के नाम

जीएसटी और मोदी

जीएसटी की अधिकतम दर 18त्न करने का मोदी का मकसद तो समझ में आया। 28 व 40त्न दर वाली ज्यादा वस्तुओं का मुख्य उपभोक्ता मध्यम वर्ग है जो मोदी के लिए शेष समाज में निरंतर प्रभावी प्रचारक की भूमिका निभाने वाले भक्तों का मुख्य स्त्रोत है। मध्यम वर्ग और संघ के पुराने आधार व्यापारी-छोटे कारोबारी तबके में मौजूद कुछ असंतोष को कम करने हेतु चुनाव के पहले इन्हें तात्कालिक राहत देने के लिए मोदी-जेटली कई उपायों पर काम कर रहे हैं, यह भी उनमें से ही एक है। बाकी आम जनता को इससे कोई खास लाभ नहीं होने वाला।

पर इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस का दावा कि उसने तो पहले ही इसे 18त्न करने का दावा किया था का भी कोई आधार नहीं। सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान जरूर दिया था कि कानून में ऐसा प्रावधान किया जाये। लेकिन संसद में कानून पारित होते वक्त सभी विपक्षी दलों ने बाहर दिये गए बयान के विपरीत बिना इस प्रावधान वाले कानून के पक्ष में ही अपना मत दिया।

अगले चरण में जब केंद्र और राज्यों की संयुक्त जीएसटी काउंसिल में दरें तय होने लगीं तब भी इन दलों ने अपने सार्वजनिक बयानों पर टिकने के बजाय बीजेपी से हाथ मिला लिया और सभी ने 100त्न आम राय से ये दरें तय कीं, एक भी जीएसटी काउंसिल बैठक में असहमति का एक भी वोट आज तक किसी फैसले में नहीं रिकॉर्ड हुआ।

सार्वजनिक तौर पर जनपक्षधरता दिखाने वाले बयान और अंदरूनी बैठकों में बीजेपी से हाथ मिलाने की इन चुनावी दलों की नीति सिर्फ इसी एक मसले पर ही नहीं बल्कि पूरी आर्थिक नीतियों से लेकर दमनकारी कानूनों और अंधराष्ट्रवाद व सेकुलरिज्म पर हमले जैसे तमाम मुद्दों पर देखने में आती रही है। इन दलों के इस दोमुंहे आचरण का भी संघी फासिस्टों के ताकतवर होने तथा राजसत्ता के विभिन्न अंगों में अपनी जडें मजबूत करने में बडा योगदान रहा है। दुनिया में हर कहीं फासीवाद के उभार में बुर्जुआ व सोशल डेमोक्रेटिक चुनावी दलों की ऐसी भूमिका जगजाहिर है।

- मुकेश असीम

योगी को कटघरे में खड़ा करने वाले पर मुकदमे पर मुकदमा

मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन लेकिन.....

लखनऊ, रिहाई मंच विशेष

हेट स्पीच को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने वाले गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता परवेज परवाज पर मुकदमे पर मुकदमा दर्ज होने को राजनीतिक षडयंत्र करार दिया जा रहा है।

रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि समाज में सांप्रदायिकता भड़काने वाले योगी आदित्यनाथ के विवादित भाषण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात और परवेज परवाज लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों बलात्कार के झूठे आरोप में परवेज परवाज को क्लीन चिट तक मिल चुकी थी। उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी और अब सुप्रीम कोर्ट में योगी के ख़िलाफ़ उनके दायर विचाराधीन मामले में मुकदमा दर्ज कराना स्पष्ट करता है कि सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी योगी व उनका पूरा कुनबा खुद को बचाने में लिए परवेज के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत कार्रवाई करा रहा है।

गोरखपुर सांप्रदायिक हिंसा के मामले में योगी के साथ सहअभियुक्त और पूर्व विधान परिषद सदस्य वाईडी सिंह ने मुकदमे के वादी परवेज परवाज पर दबाव बनाने के लिए गोरखुपर सीजेएम के सामने याचिका दायर कर परवेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वाईडी सिंह ने याचिका में आरोप लगाया कि परवेज ने 2007 दंगे की योगी के भाषण की जो सीडी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है वह फर्जी है। अपनी इस याचिका में उन्होंने परवेज पर यह भी आरोप लगाया कि वे एक साम्प्रदायिक व्यक्ति हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन की फांसी का विरोध किया था। यह भी कि परवेज ने दंगा किया और कई दुकानों में लूटपाट की हालाँकि एक भी ऐसी दुकान या दुकान मालिक का नाम नहीं बताया।

गौरतलब है कि 2015 में वाईडी सिंह की तरफ से परवेज के खिलाफ ऐसी ही एक याचिका गोरखपुर सीजेएम के सामने लगाई गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं अगस्त 2014 में इंडिया टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ वीडियो की सत्यता पर कोई सवाल करने के बजाए सार्वजनिक तौर पर उसमें खुद के होने की गवाही पेश कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2018 को पारित आदेश में यूपी सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था परंतु अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इस मामले में तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, तत्कालीन मेयर और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चैधरी, पूर्व एमएलसी वाईडी सिंह के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का मुकदमा दर्ज हुआ था।

दूसरी तरफ परवेज परवाज का कथन है कि जिस डीवीडी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया वो उन्होंने पुलिस को दी ही नहीं थी। विवेचक ने कोई फर्द जब्ती नहीं तैयार की जिससे साबित हो कि विवादित डीवीडी परवेज ने पुलिस को सौंपी। जबकि उनके द्वारा दी गयी सीडी अदालत में शपथ पत्र के साथ दाखिल हुई थी जो आज भी टूटी हुई दशा में निचली अदालत की फाइल में मौजूद है। डीवीडी के प्राप्त होने और उसके बनने की तारीखों में दो महीने का अंतर पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कैसे एफआईआर हो सकती है। इस मामले में योगी अपने ही मामले के जज बन गए थे और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की उनकी सरकार ने अनुमति नहीं दी।

65 वर्षीय परवेज परवाज और दूसरे सह अभियुक्त पर जून 2018 में सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और उसे फर्जी पाया। आखिरकार मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी उसी रात परवेज को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रिहाई मंच ने कहा कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रहे मामले में 30 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट और 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वहीं दूसरी तरफ 18 अगस्त 2018 को एसएसपी गोरखपुर ने जून 2018 के सामूहिक बलात्कार मामले की अग्रिम विवेचना का 12 अगस्त 2018 की आख्या पर आदेश कर दिया। सवाल है कि मामले में फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद 12 अगस्त 2018 की आख्या क्या है जिसके आधार पर एसएसपी ने 18 सितंबर को पुनः अग्रिम विवेचना महिला थाने की आईओ इंस्पेक्टर को दे दिया। बिना विवेचक बनाए गए आखिर कैसे 12 अगस्त को इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करके रिपोर्ट समिट कर दी गई। 16 सितंबर को गवाहों को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि वह आकर अपना बयान दर्ज कराएं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट फरमान अहमद नकवी ने सवाल उठाया है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट करके दूसरे आईओ को नहीं दी जाती, तब तक कैसे कोई अन्य विवेचना की जा सकती है।

रिहाई मंच ने आरोप लगाया कि यह सब कानून के परे जाकर योगी आदित्यनाथ के आदेश पर खुल्लमखुल्ला हो रहा है। वरना एसएसपी को बताना चाहिए कि कैसे उनके आदेश से पहले नया विवेचक आ जाता है और रिपोर्ट भी दे देता है। आतंकित परवेज परवाज की पत्नी रेहाना बेगम झूठे मामले में फंसाने और सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, आईजी गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर, एसएसपी गोरखपुर से गोहार लगा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि गोरखपुर पुलिस उन्हें और उनके पुत्रों को परेशान कर रही है। पुलिस धमका रही है और फर्जी मुकदमे में फंसाने का षड़यंत्र रच रही है। यह सब इसलिए कि परवेज मुकदमे से पीछे हट जाएं। इसी कड़ी में परवेज के खिलाफ थाना राजघाट, जिला गोरखपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसपर अंतिम रिपोर्ट लग जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पुनर्विवेचना का आदेश हुआ। परवेज के जेल जाने के बाद उनका परिवार इतना आतंकित है कि घर में रहने का साहस नहीं जुटा पा रहा। परवेज का एक बेटा विकलांग है, सुनने व बोलने से लाचार है।